

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/अस्प.प्रशा./सेल-3/2015/2003

भोपाल, दिनांक 31/12/2015

प्रति,

समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषय:- डायलिसिस इकाईयों की स्थापना एवं 26 जनवरी 2016 को लोकार्पण कराये जाने के संबंध में।

—000—

जैसा कि आपको विदित है कि प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस इकाईयों के स्थापना की कार्यवाही लगभग दो वर्षों से प्रचलन में है। माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में 26 जनवरी 2016 से डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। यह सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। इस संबंध में विगत दो वर्षों से इकाईयों के निर्माण/उन्नयन का कार्य किया जा रहा है एवं अधिकांश जिलों में यह कार्य सम्पूर्ण किया जा चुका है। कुछ जिलों में छोटा-मोटा कार्य शेष है एवं सिविल सर्जनस द्वारा यह बताया गया है कि कक्ष आवश्यकतानुसार 7 जनवरी 2016 तक मशीन की स्थापना हेतु तैयार कर लिये जायेंगे।


समस्त जिलों में चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा डायलिसिस मशीनों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं एवं कई जिलों में मशीनें पहुंच गई हैं। एम.पी.पी.एच.एस.सी.एल के अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि शेष जिलों में भी 10 जनवरी 2016 तक डायलिसिस मशीनें प्रदाय कर दी जायेंगी। एम.पी.पी.एच.एस.सी.एल द्वारा आवश्यक कंज्यूमेबल्स का दर निर्धारण भी किया जा चुका है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि समय सीमा को देखते हुये प्रदायकर्ता एजेन्सी के सलाहकारों द्वारा मशीन स्थापित करने हेतु बताये गये कार्य 7/1/2016 तक पूर्ण करा लें एवं मशीन प्राप्त होते ही उन्हें उच्च प्राथमिकता पर प्रदायकर्ता एजेन्सी के इंजीनियर/कर्मचारियों के सहयोग से स्थापित करा लिया जाये। यह सुनिश्चित करें कि 20/1/2016 तक डायलिसिस मशीन की स्थापना कर टेस्टिंग कर ली जावे, ताकि डायलिसिस सेन्टर का 26 जनवरी को लोकार्पण किया जा सके।

जिलों में डायलिसिस हेतु इन चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिलाया गया था उन्हें डायलिसिस इकाई का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। लिखित में इन चिकित्सकों को निर्देश जारी करें कि इस कार्य हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे एवं वे इस कार्य हेतु आपको सहयोग करेंगे।

इस बीच प्रचार-प्रसार एवं अन्य माध्यमों से आपके जिले के ऐसे मरीजों का चिन्हांकन कर लिया जाये जिन्हें डायलिसिस की आवश्यकता है। साथ ही डायलिसिस करने हेतु आवश्यक कंज्यूमेबल्स एवं औषधियों का आकलन कर उनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित करा ली जाये।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराया जाये।



संचालक, (अ.प्र.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ0क0/अस्प.प्रशा./सेल-3/2015/2004

भोपाल, दिनांक 31/12/2015

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, स्थानीय कार्यालय।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भवन, 8 अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।

4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।

संचालक, (अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश